# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 74/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री दीपक कुमार सांवल पुत्र श्री रामेश्वर लाल सांवल निवासी सी, एकता नगर, धावास, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 23.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

## निर्णय

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 22.01.2020 को मय जांच दल के दीपक थडी, सुमन विहार, गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती रोड धावास पर पंहुचे। थडी पर एक लडका उपस्थित था जो जांच दल को देखकर भाग गया। थडी पर लिखे मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करने पर बताया कि वह थडी का मालिक दीपक बोल रहा है एवं अस्पताल आया हुआ है और थोडी देर बाद जांच हेतु उपस्थित हो जायेगा। मौके पर उक्त थडी पर गैस चूल्हे रिपेयरिंग का कार्य होना पाया गया। दौराने जांच रिलायन्स गैस का सिलेण्डर थडी के अन्दर रखा हुआ था जिस पर गैस रिफिलिंग करने का यंत्र लगा हुआ था। जिससे छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग करने का कार्य किया जाता था। मौके पर एक रिलायन्स का गैस सिलेण्डर, एक एचपीसी का छोटा सिलेण्डर, 4 छोटे विभिन्न ब्राण्ड के सिलेण्डर, 2 पीतल की बांसुरी, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा पाया गया। मौके पर दीपक कुमार उपस्थित हो गया। मौके पर पास में ही दीपक कुमार की एक और थडी का निरीक्षण किया गया। जिसमें 7 रिलायन्स के सिलेण्डर, 5 छोटे सिलेण्डर बिना मार्का, 4 आईओसी के घरेलू सिलेण्डर पाये गये। दौराने जांच दीपक कुमार द्वारा उक्त सिलेण्डर्स व अन्य सामान के कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 4 घरेलू सिलेण्डर (आईओसी), एचपीसी का एक छोटा सिलेण्डर, 9 सिलेण्डर रिलायन्स, 9 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर, 4 रेग्यूलेटर नोन मार्का, एक छोटा चूल्हा, रिफिलिंग यंत्र(पाईप सहित), एक ईलेक्ट्रोनिक कांटा एवं 2 पीतल की बांसुरी मय 118.400 किग्रा. एलपीजी जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं हुआ है। अप्रार्थी के फर्द अभिग्रहण पर लिखे मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करने पर नम्बर बन्द मिला। फर्द अभिग्रहण व फर्द मौका में अंकित है कि आरोपी से तत्समय सम्पर्क हुआ था। इससे जाहिर है कि आरोपी द्वारा जानबूझकर जब्तशुदा सामग्री का दावा आज तक पेश नहीं किया गया है। प्रकरण फरवरी 2020 से न्यायालय में लम्बित है। अतः जब्तशुदा सामग्री के लिये आज तक किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया जाना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी आगे भी इसमें कोई पक्ष नहीं रखना चाहता है। ऐसे में प्रकरण को लम्बित रखना उचित नहीं समझते। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 23.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 22.01.2020 को जब्त घरेलू सिलेण्डरो से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं हुआ है। अप्रार्थी के फर्द अभिग्रहण पर लिखे मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करने पर नम्बर बन्द मिला। फर्द अभिग्रहण व फर्द मौका में अंकित है कि आरोपी से तत्समय सम्पर्क हुआ था। इससे जाहिर है कि आरोपी द्वारा जानबूझकर जब्तशुदा सामग्री का दावा आज तक पेश नही किया गया है। प्रकरण फरवरी 2020 से न्यायालय में लम्बित है। अतः जब्तशुदा सामग्री के लिये आज तक किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया जाना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी आगे भी इसमें कोई पक्ष नहीं रखना चाहता है। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी ने जब्त सिलेण्डरों से संबधित कोई भी दस्तावेज मौके पर पेश नहीं किये। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर पर गैस रिफिलिंग करने का यंत्र लगा हुआ पाया गया, बिना मार्का के छोटे गैस सिलेण्डर भी पाये गये और गैस रिफिलिंग करने से संबंधित अन्य सामान भी पाये गये। जिससे अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों से छोटे गैस सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग का कार्य किये

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

जाने की पुष्टी होती है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 4 घरेलू सिलेण्डर (आईओसी), एचपीसी का एक छोटा सिलेण्डर, 9 सिलेण्डर रिलायन्स, 9 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर, 4 रेग्यूलेटर नोन मार्का, एक छोटा चूल्हा, रिफिलिंग यंत्र(पाईप सहित), एक ईलेक्ट्रोनिक कांटा एवं 2 पीतल की बांसुरी मय 118.400 किग्रा. एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।